

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

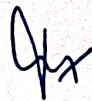
का0आ0सं0 यो0स्था07/01-06/2025(पार्ट) **5246** /यो0वि0,पटना,दिनांक 11 सितम्बर, 2025

कार्यालय आदेश

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का आदेश संख्या-639 दिनांक 03.02.2025 एवं कार्यालय आदेश संख्या-4791 दिनांक 18.08.2025 द्वारा नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडल में अगले आदेश तक के लिए निम्नरूपेण पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0	समेकित क्र0 सं0	पंजीयन सं0	नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	पदस्थापन विभाग/कार्यालय
1	3378	BR00150010052616	श्री संजय कुमार	07.07.1991	अरवल	कार्य प्रमण्डल-02, हिलसा, नालंदा
2	3006	BR00150010036110	श्री पंकज कुमार	01.08.1999	रोहतास	कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज
3	3607	BR00150010005698	श्री शशी भूषण कुमार	05.09.1980	पूर्णियाँ	कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज
4	2795	BR00150010053333	श्री जगदेव कुमार	14.11.1997	औरंगाबाद	कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज
5	4278	BR00150010022733	श्री भोला चौधरी	25.12.1990	नालंदा	कार्य प्रमण्डल-02, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण
6	2313	BR00150010067419	श्री बिमलेश कुमार बिमल	11.07.1986	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमण्डल-02, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण
7	1353	BR00150010075805	श्री राकेश कुमार	12.05.1990	नवादा	कार्य प्रमण्डल-02, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण
8	3187	BR00150010101757	सुश्री/श्रीमती डिलेश्वरी कुतराहे	24.10.1997	बालाघाट (म0प्र0)	कार्य प्रमण्डल, गया जी
9	1782	BR00150010015456	श्री बासुकीनाथ सिंह	07.06.1988	भागलपुर	कार्य प्रमण्डल-01, कटिहार

2. यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं तथा शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानते हुए की जा रही है। यदि भविष्य में उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाती है तो इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। संबंधित कार्यालय अपने स्तर से भी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं की शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेखों की जाँच कर लेंगे।



3. यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही हैं। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।
4. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक-20.09.2025 तक नव पदस्थापित कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता, आवासीय प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी शपथ पत्र, तकनीकी त्याग पत्र की स्वीकृति तथा विरमन आदेश (मूल में) एवं अन्य वांछित कागजात की स्व-अभिप्रमाणित प्रति के साथ योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
5. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन कार्यालय से भुगतये होगा। पदस्थापन कार्यालय में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक-20.09.2025 तक योगदान की स्थिति में वेतन योजना एवं विकास विभाग में (पूर्व से सरकारी/अर्द्ध सरकारी निकायों में कार्यरत कर्मि पूर्व नियोक्ता से स्वीकृत त्यागपत्र/विरमण आदेश के साथ) योगदान की तिथि से देय होगा। दिनांक-20.09.2025 के बाद जिस तिथि से पदस्थापित कार्यालय में योगदान देंगे उस तिथि से वेतन देय होगा।
6. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनके कार्यालय में पदस्थापित कनीय अभियंताओं (असैनिक) का योगदान प्रतिवेदन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) का तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृति करेंगे तथा नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) की वेतनादि का भुगतान तब तक नहीं की जायेगी जब तक योजना एवं विकास विभाग से इनकी नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।
8. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का नई अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या-(PRAN No.) निश्चित रूप से सृजित कर लिया जाय।
9. नव पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
10. भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तदनुसार विभाग द्वारा संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।

(रणजीत कुमार)

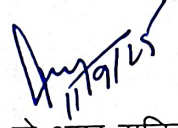
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था07/01-06/2025(पार्ट) **5246**/यो0वि0,पटना,दिनांक 11 सितम्बर, 2025
 प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0), विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था07/01-06/2025(पार्ट) **5246**/यो0वि0,पटना,दिनांक 11 सितम्बर, 2025
 प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/जल

संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

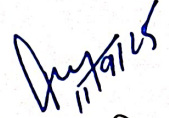


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-

प्रतिलिपि:-

यो0स्था07/01-06/2025(पार्ट) **5246** /यो0वि0,पटना,दिनांक 11 सितम्बर, 2025
प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/अधीक्षक/राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-07 को भेजने हेतु प्रेषित।

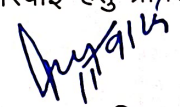


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:

प्रतिलिपि:

यो0स्था07/01-06/2025(पार्ट) **5246** /यो0वि0,पटना,दिनांक 11 सितम्बर, 2025
सभी संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

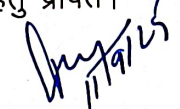


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:

प्रतिलिपि:

यो0स्था07/01-06/2025(पार्ट) **5246** /यो0वि0,पटना,दिनांक 11 सितम्बर, 2025
विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव